भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली)

एफ. सं.: पीएडी-2023-24-000091

दिनांक: 20.06.2025

विषय: एपीडा, नई दिल्ली में सलाहकार (व्यापार) की नियुक्ति

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसे भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपीडा कृषि व्यापार सुविधा में सिक्रय रूप से शामिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार लाने हेतु कार्य कर रहा है। इस भूमिका में ब्रांड समर्थन का प्रबंधन , बाजार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विपणन कार्यनीति विकसित करना, प्रचार और मीडिया संबंध, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया, रचनात्मक टीम के साथ समन्वय करना और ब्रांड सहयोग की देखरेख करना शामिल है। एपीडा का सलाहकार (व्यापार) (अनुबंध पर) के पदों पर प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी और क्रियाशील पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रयोजन है।

2. नियुक्ति का प्रकार और अवधि

- 2.1 सलाहकार (व्यापार) स्तर पर निय्क्ति होगी।
- 2.2 पूर्णतः संविदा आधार पर नियुक्ति होगी।
- 2.3 नियुक्ति प्रारंभ में तीन सप्ताह की परिवीक्षा अविध सिहत एक वर्ष की अविध के लिए होगी। कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर नियुक्ति का कार्यकाल वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- 3. योग्यता, अनुभव और रिक्तियां: निम्नलिखित योग्यता और अनुभव वाले आवेदकों को सलाहकार (व्यापार) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

3.1 योग्यताः

• न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव	पद	रिक्ति	शैक्षिक योग्यता	योग्यता पश्चात् अनुभव	प्रासंगिक अनुभव
सलाहकार (व्यापार) 1* (विशेषत: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा विश्लेषण में कार्य अनुभव, जिसमें निम्न का अनुभव शामिल हो: - टेबल्यू या अन्य विज्ञुअलाइज़ेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई या इसके समकक्ष। - स्प्रेड शीट, प्रेजेंटेशन सूट में दक्षता।	सलाहकार		अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (विशेषत: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	 न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव वांछनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा विश्लेषण में कार्य अनुभव, जिसमें निम्न का अनुभव शामिल हो: टेबल्यू या अन्य विजुअलाइज़ेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई या इसके समकक्षा। स्प्रेड शीट, प्रेजेंटेशन सूट 	न्यूनतम 3 वर्ष

- * सक्षम प्राधिकारी के पास आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।
- * पीएचडी धारक के लिए 3 वर्ष तक का अनुभव शामिल है, बशर्ते उन 3 वर्षों के दौरान कोई कार्य अनुभव नहीं गिना जाएगा।
- 3.2 अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3.3 केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के किसी अधिकार की पृष्टि नहीं होगी।
- 3.4 आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3.5 सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.6 गलत घोषणा/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्रवाई करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3.7 आयु सीमा

सलाहकार (व्यापार) पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष।

पारिश्रमिक और वार्षिक वृद्धि

4.1 पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और किसी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं होगी। पद के लिए पारिश्रमिक की सीमा इस प्रकार है:

पद	पारिश्रमिक प्रति माह (रु.)
सलाहकार (व्यापार)	1,45,000/- रु. से 2,00,000/- रु.

5. **टीए/डीए**: सलाहकार (व्यापार) को भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करना अपेक्षित होगा। दौरे के दौरान, केंद्र सरकार के वेतन स्तर 10 पर अधिकारियों को टीए/डीए स्वीकार्य होगा।

6. कार्य के घंटे और अवकाश:

- 6.1 कार्यदिवसों के दौरान कार्य के घंटे सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगे, जिसमें बीच में आधे घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल होगा। हालाँकि , कार्य की अत्यावश्यकताओं में , सलाहकार (व्यापार) को देर तक बैठने की आवश्यकता भी हो सकती है और उन्हें शनिवार/रविवार और अन्य अवकाश पर भी बुलाया जा सकता है।
- 6.2 सलाहकार (व्यापार) एक वर्ष की अविध के दौरान आनुपातिक आधार पर नियंत्रण अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन 20 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुपलब्ध अवकाश को अगले वर्ष में नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त , नियंत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ पारिश्रमिक के बिना एक महीने तक के अवकाश पर विचार किया जा सकता है।
 - हालाँकि, पेशेवर विकास , प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता जैसे दुर्लभ और असाधारण मामलों में आधिकारिक अत्यावश्यकताओं के अधीन, अध्यक्ष के अनुमोदन से इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- 6.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, पत्र सं. S-360 17/03/20 15-SS-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए महिला सलाहकार (व्यापार) पात्र होंगी।

7. समाप्तिः

- 7.1 विभाग द्वारा किसी भी समय 30 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले भुगतान करके नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार, सलाहकार (व्यापार) भी समान अविध के लिए नोटिस देने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं।
- 7.2 सौंपे गए कार्य को करने में विफलता या आचरण के किसी भी मानक का पालन करने में विफलता की स्थिति में विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी सलाहकार (व्यापार) को निकालने का अधिकार स्रक्षित रखता है।

8. सामान्य नियम एवं शर्तैः

- 8.1 एपीडा सलाहकार (व्यापार) को किसी भी कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
- 8.2 सलाहकार (व्यापार) के रूप में नियुक्ति शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि सलाहकार (व्यापार) द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/झूठी पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 8.3 सलाहकार (व्यापार) समय-समय पर संशोधित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 द्वारा अधिशासित होंगे और विभाग में सलाहकार (व्यापार) के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके ध्यान में आने वाली किसी भी जानकारी / डेटा को किसी भी अनिधकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रकट नहीं करेंगे। ऐसी सभी जानकारी/रिकॉर्ड/कागजात/सॉफ्टवेयर/ईमेल आदि एपीडा की संपत्ति होंगे।
- 8.4 सलाहकार (व्यापार) वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजन से विज्ञापन या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका एपीडा के साथ संविदात्मक संबंध है। वह किसी भी प्रकार से, एपीडा के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमित के बिना, व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा एपीडा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर या एपीडा के नाम के किसी भी संक्षिप्त रूप का उपयोग नहीं करेगा।
- 8.5 सलाहकार (व्यापार) से एपीडा के नियमों और विनियमों के अनुसार उचित आचरण की अपेक्षा की जाएगी। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक चिरत्र , सत्यनिष्ठा, कार्यालय की गोपनीयता और का र्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं या एपीडा के हितों के विपरीत पाई गईं , तो उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस अविध या म्आवजे के त्रंत समाप्त कर दी जाएंगी।

8.6 सामान्य तौर पर, सलाहकार (व्यापार) अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन के संबंध में एपीडा के बाहर किसी भी प्राधिकारी से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही किसी निर्देश को स्वीकार करेंगे। सलाहकार (व्यापार) अनुबंध के अपने कार्य- निष्पादन के संबंध में या अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे जो एपीडा के हितों पर प्रतिकृल प्रभाव डाल सकता है, और सलाहकार (व्यापार) एपीडा के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करेंगे। सलाहकार (व्यापार) आश्वासन देंगे कि उन्होंने एपीडा के किसी भी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य एजेंट को अनुबंध के कार्य निष्पादन या उसे प्राप्त करने से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं दिया है और न ही देंगे। वह अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कार्य- निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अनुबंध के निष्पादन में, सलाहकार (व्यापार) आचरण के सामान्य मानकों का पालन करेंगे। इसका अनुपालन करने में विफलता सलाहकार (व्यापार) को बर्खास्त कर सकता है।

- 8.7 **यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार निषेध**: अनुबंध के निष्पादन में, सलाहकार (व्यापार) "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम , 2013" का अनुपालन करेंगे। सलाहकार (व्यापार) स्वीकार करेंगे और इस बात से सहमत होंगे कि इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अनुबंध की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन होगा, और, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अतिरिक्त, अनुबंध को समाप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, आचरण के पूर्वगामी मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय अधिकारियों को संदर्भित करने के एपीडा के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।
- 8.8 एपीडा की सेवा के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में , सलाहकार (व्यापार) या निकटतम रिश्तेदार किसी भी मुआवजे या नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।
- 8.9 सलाहकार (व्यापार) को अपने संबंधित पुलिस स्टेशन से एक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जमा करनी होगी और नियुक्ति से पहले किसी अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
- 8.10 नियुक्ति की अवधि एपीडा में कार्य ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी।
- 8.11 सलाहकार (व्यापार) के रूप में नियुक्ति की अविध बाद की तारीख में एपीडा या किसी अन्य सरकारी विभाग में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा या अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

इच्छुक उम्मीदवार अपने स्कैन सीवी और संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में अपना हस्ताक्षरित और टाइप किया हुआ आवेदन जमा कर सकते हैं। 10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.07.2025 को 1400 बजे है।

टाइप किया हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन recruitment@apeda.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाए। आवेदित पद का उल्लेख करना अनिवार्य है।

नोट: साक्षात्कार के लिए केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

> सचिव एपीडा

सलाहकार (व्यापार) (अनुबंध पर) पद के लिए आवेदन

सचिव

अगस्त हौज़	ं मंजिल, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र त क्रांति मार्ग खास,	
न५ ।	दिल्ली - 110 016	
आवेदन	करने हेतु पदः सलाहकार (व्यापार)	नवीनतम पासपोर्ट
1.	पूरा नाम (बड़े अक्षर में):	साइज़ फोटोग्राफ
2.	पिता/पति का नाम:	चिपकाएँ
3.	स्थायी पताः	
4.	पत्राचार पताः	
5.	संपर्क नं. और ईमेल-आईडी:	
6.	जन्मतिथि:	
7.	राष्ट्रीयताः	

उत्तीर्ण होने का वर्ष	स्ट्रीम/विषय	अंकों/सीजीपीए का %
	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने का वर्ष स्ट्रीम/विषय

(आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएँ:

9. प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता पश्चात कार्य अनुभव:

नियोक्ता का नाम और पता	सेवा अवधि (से-तक dd/mm/yy में)	कुल कार्यकाल (वर्षों और महीनों में)	पद	कार्य/जिम्मेदारियों की प्रकृति

(अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10.	प्रवीणता ज्ञात	भाषाएँ:	

		• •	•	
11	कोई अन्य	पा:प्रतिक	ज्ञानकारी:	
11.	4115 210 4	יפויוואות	OII 0144 (1.	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक: _	
स्थानः	